21/4/25

पत्रावली पेश हुई आदि. प्रार्थी उप० अधि० प्रार्थी की एक तरफा बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य अपनी-अपनी खातेदारी भूमियों की सीमाओं का विवाद है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराने का अधिकार निहित है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRAct का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोलर प०ह० कालीवास तह० देलवाड़ा स्थित प्रार्थी की आ०सं० 410, 411, 412 एंव विपक्षीगण की आ०सं० 394, 409, 415, 413 के मध्य पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार देलवाड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एंव तहसीलदार देलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षो को सूचित कर बिना किसी का कब्जा प्रभावित किये पक्षकारान के मध्य पत्थरगढी कराये जाना सुनिश्चित करे। पालनार्थ TDR देलवाड़ा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)